न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02 / 2025 (उदयपुर आर्डर)

श्रीमती देऊ पुत्री स्वर्गीय अमरा जी पत्नी मोड़ा जी गाडरी, निवासी उदाखेड़ा, हाल गाडरियावास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. हमेरा पिता स्वर्गीय भाणा जी गाडरी, निवासी उदाखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. लालुराम पिता स्वर्गीय भाणा जी गाडरी, निवासी उदाखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती भगी पत्नी माधुलाल जी गाडरी, निवासी रणछोड़पुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती राधी बाई पत्नी चेनराम जी गाडरी, निवासी रणछोड़पुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. मुकेश पिता देवा जी गाडरी, निवासी उदाखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. केशु पिता स्वर्गीय अमरा जी गाडरी, निवासी उदाखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. खेमा पिता स्वर्गीय अमरा जी गाडरी, निवासी उदाखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. रतनलाल पिता नानूराम जी कुम्हार, जी गाडरी, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 18.01.2023 प्र. सं. 10/2022

———::———

उपस्थित :– 1. श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 18–03–2025**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:00 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उदाखेड़ा में आराजी नंबर 785, 786, 787, 836, 837 कुल किता 5 रकबा 0.4900 स्थित है। उक्त आराजियात में प्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 का 1/12 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 6 का 1/12 हिस्सा दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 10–02–2022 बेचान से उक्त आराजी नंबर 785, 786, 787, 836, 837 भगीबाई के बजाय मुकेश पर नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन है। पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष हीमा जी थे, जिनके चार पुत्र रत्ता, भाणा, वगता व अमरा हुए। सभी की मृत्यु हो चुकी है। भाणा के वारिस प्रार्थीगण तथा रत्ता, वगता व अमरा के वारिस विपक्षीगण हैं। मौके पर चारों भाईयों के मध्य सन् 1970 में आपसी विभाजन होकर पक्षकारान उसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु विपक्षीगण प्रार्थीगण की जमीन पर अनाधिकृत अतिक्रमण करने पर उतारू हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूलवाद विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28–01–2023 प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उभयपक्षों को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए विवादित आराजियात के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 6 द्वारा यह अपील दिनांक 22–01–2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश गहलोत उपस्थित हुए तथा लिखित बहस प्रस्तुत की जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि [illegible] के मध्य विभाजन का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:00 IST
Reason: SelfAttested

विचाराधीन है तथा प्रत्येक सहखातेदार को अपनी अविभाजित भूमि को विक्रय करने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया है तथा सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है, जबकि कानूनन सहखातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य विभाजन का वाद विचाराधीन है तथा प्रत्येक सहखातेदार को अपने हक हिस्से की भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकारी है। यदि किसी पक्षकार द्वारा अपने हिस्से का विक्रय कर दिया जाता है तो क्रेता को वही हिस्सा प्राप्त होगा जो विभाजन में उसके विक्रेता को मिलेगा। जमाबन्दी संवत् 2078 से 2081 अनुसार यह सुस्पष्ट है कि पक्षकारान सहखातेदार हैं तथा प्रत्येक सहखातेदार को अपनी सहखातेदारी भूमि का उपयोग–उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व उसके तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन किया जाना विधि अनुसार आवश्यक है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18–01–2023 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विवेचन करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05–05–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 18–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:00 IST
Reason: SelfAttested